न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 275 / 17 निर्णय दिनांकः 10-11-17

1. ईश्वरराम पुत्र हीराराम जाति नायक निवासी टांट तहसील नोखा जिला बीकानेर।

अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 23—05—2003
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री हरीश व्यास, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉं, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 23—05—2003 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व से ही आवंटनशुदा रकबा भूमिहीन में आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 4 आरएसएम के मुरब्बा नम्बर 32/38 के किला नम्बर 3 ता 7, 15 में 6 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 1, 2 8 ता 14, 16 ता 25 में 19 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया जाकर आवंटन पट्टा जारी किया गया। अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में ही मदन सिंह पुत्र लाधूसिंह व जानीकंवर पत्नी मदनसिंह जाति राजपूत को आवंटनशुदा है। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है।

अदालत मातहत को आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी उक्त आराजी जैर आवंटन दिनांक को शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं? अदालत मातहत ने इस तथ्य की जॉच किये बिना अपीलांट को आवंटनशुदा रकबे का आवंटन किया गया है। इसमें अपीलांट की कोई गलती नहीं है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन आदेश मे कोई आदेश पारित किये बिना अपीलांट को आवंटित भूमि अन्य को आवंटन कर दी गई है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–05–2003 के विरूद्व अपील दिनांक 24–08–17 को पेश की है। जोकि करीब 14 वर्ष विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील स्पष्ट रूप से मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटनशुदा भूमि पूर्व में अन्य को आवंटित है। अतः अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–03–2002 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 04–11–2016 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। चूंकि अपीलाधीन आदेश को खारिज किये बिना अपीलांट को आवंटित भूमि अन्य को आवंटित की गई है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर 4 आरएसएम के मुरब्बा नम्बर 32/38 के किला नम्बर 3 ता 7, 15 में 6 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 1, 2 8 ता 14, 16 ता 25 में 19 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया जाकर आवंटन पट्टा जारी किया गया। किन्तु अपीलांट के आवंटन का रिकार्ड में अंकन नहीं किया गया ना ही कब्जा प्रदान किया गया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2071–2074 के अनुसार उक्त भूमि पूर्व में ही मदन सिंह पुत्र लाधूसिंह व जानीकंवर पत्नी मदनसिंह जाति राजपूत को आवंटनशुदा होने के कारण अपीलांट का आवंटन उचित भूमि का नहीं किया जाना साबित है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(3) जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट को सामान्य की पात्रता मानते हुए आराजी जैर का आवंटन किया गया। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटनशुदा थी। अपीलांट को आवंटन सलाहकार समिति व अध्यक्ष आवंटन समिति की राय से बाद जॉच ही दिनांक 23—05—2003 को आवंटन किया गया था।

(4) पत्रावली का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत की पत्रावली पर किसी प्रकार का आदेश, अन्य को आवंटन आदेश से पूर्व अपीलार्थी के आवंटन को निरस्त करने या उसे नोटिस देने का कोई तथ्य, नोट, आदेश, टिप्पणी अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का आवंटन सही व बहाल माना जाना आशयित है। यही रकबा अन्य को बिना सूचना, सुनवाई या औचित्य के अन्य को आवंटन कर दिया। जिससे अपीलार्थी के हकों पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अतः इस अनौचित्य पूर्ण कार्यवाही से अपीलार्थी को बेवजह खामियाजा उठाना पड़ा है।

(5) अपीलांट को पूर्व में आवंटनशुदा भूमि का आवंटन किया गया है। इसमें अपीलांट की कोइ गलती नहीं है। प्रकरण में आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आवंटी को नहीं दिया जा सकता। अदालत मातहत को आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी कि क्या आवंटन दिनांक को आराजी जैर भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु शुद्व रूप से उपलब्ध थी अथवा नही? अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जॉच किये बिना अपीलांट को किया गया आवंटन अतार्किक प्रतीत होता है।

(6) अपीलांट का आवंटन आज दिनांक तक निरस्त नहीं किया गया। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। चूंकि अपीलांट को पूर्व में आवंटनशुदा भूमि का आवंटन कर दिया गया। इसलिए अपीलांट पात्रता अनुसार अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

7\. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 23—05—2003 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अंपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जॉच करते हुए उसी किस्म की विवादरहित व शुद्व रूप से भूमिहीन श्रेणी की अन्यत्र भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 10-11-17 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर